

कर्मचारी कल्याण समिति चुनाव कार्यालय

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

05.02.2026

आवश्यक सूचना / चुनाव कार्यक्रम

कर्मचारी कल्याण समिति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कर्मचारी कल्याण समिति के एक अध्यक्ष पद एवं नौ कार्यकारिणी सदस्यों के पदों पर चुनाव किया जाना है जिनका चुनाव कार्यक्रम निम्नानुसार होगा:-

01. आवेदन-पत्र विश्वविद्यालय वेबसाईट पर Employee Corner में उपलब्ध है।
02. आवेदन-पत्र जमा करवाने की तिथि एवं समय 11.02.2026, अपराह्न 11.00 बजे से 01.00 बजे तक।
(स्थान-विद्या परिषद् सभागार, कुलगुरु सचिवालय)
03. आवेदन वापस लेने की तिथि एवं समय 11.02.2026, दोपहर 03.00 बजे से 04.00 बजे तक।
(स्थान-विद्या परिषद् सभागार, कुलगुरु सचिवालय)
04. उम्मीदवारों की सूची की घोषणा दिनांक 11.02.2026 सांय 4.30 बजे।
05. मतदान की तिथि एवं समय 13.02.2026 अपराह्न 11:30 से 02:30 से बजे तक।
(स्थान-विद्या परिषद् सभागार, कुलगुरु सचिवालय)
06. मतगणना की तिथि एवं समय दिनांक 13.02.2026 अपराह्न 3.00 बजे से।
(स्थान-विद्या परिषद् सभागार, कुलगुरु सचिवालय)
07. परिणाम घोषणा दिनांक 13.02.2026 (मतगणना के पश्चात्)
08. शपथ ग्रहण समारोह दिनांक 13.02.2026 (परिणाम घोषणा के पश्चात्)

भवदीय

Grantam K.R.

चुनाव अधिकारी

भवदीय

14

Feb. 05, 2026

चुनाव अधिकारी

नोट:-

01. समिति के समस्त सदस्य कृपया चुनाव कार्यक्रम को पढ़कर आवेदन करें।
02. आवेदन पत्र जमा करवाते समय किसी प्रकार की नारेबाजी न करें।
03. चुनाव प्रचार हेतु किसी प्रकार की मुद्रित सामग्री का उपयोग न करें।

कर्मचारी कल्याण समिति चुनाव कार्यालय

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

आवश्यक सूचना / दिनांक 05.02.2026

कर्मचारी कल्याण समिति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कर्मचारी कल्याण समिति के एक अध्यक्ष पद एवं नौ कार्यकारिणी सदस्यों के पदों का चुनाव की दिनांक, स्थान, नियम और शर्तें निम्न प्रकार की होगी—

01. एक अध्यक्ष व नौ कार्यकारिणी सदस्यों हेतु चुनाव होना है।
02. कोई भी सदस्य अध्यक्ष अथवा कार्यकारिणी सदस्य में से केवल एक पद हेतु आवेदन कर सकेगा।
03. मत-पत्र दो तरह के होंगे। एक अध्यक्ष हेतु व दूसरा कार्यकारिणी सदस्य हेतु।
04. जो मतदाता मतदान केन्द्र पर उपस्थित होगा वही मतदान कर सकेगा।
05. मतदान कक्ष में अध्यक्ष पद का उम्मीदवार अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेगा।
06. अध्यक्ष पद पर मतगणना में मतपत्र समान रहने पर उसका निर्णय किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी से लौटरी निकाल कर किया जायेगा।
07. कार्यकारिणी सदस्य के नौ पदों तक समान बहु मतपत्र होने पर ये चुने हुए माने जावेंगे। नौ से अधिक पर मतगणना में मतपत्र समान होने की स्थिति में उसका निर्णय किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी से लौटरी निकाल कर किया जावेगा।
08. कार्यकारिणी सदस्य मतपत्र में नौ से अधिक उम्मीदवारों पर मोहर लगाने पर मतपत्र निरस्त माना जायेगा।

Gautam Kr
चुनाव अधिकारी

Feb. 05, 2026
चुनाव अधिकारी